

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 339
19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध

339. श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिदयुत बरन महतो:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने देश में बढ़ती कीमतों के कारण प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो घरेलू बाजार में इसकी कीमतों पर निर्यात का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण देश विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादक किसान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने प्रतिबंध हटाने के लिए केन्द्रीय मंत्री को लिखित अभ्यावेदन दिया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध ने भारत की अर्थव्यवस्था जो कि प्याज की सबसे बड़ी निर्यातक है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निकट भविष्य में एक नीति तैयार करने का है ताकि घरेलू उपभोक्ता और किसान इस तरह के प्रतिबंध से प्रभावित न हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

- (क) :जी, हां। भारत सरकार ने 29 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 21/2015-2020 द्वारा अगले आदेशों तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है।
- (ख) :प्याज के निर्यात पर रोक से घरेलू बाजार में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि इससे बाजार मूल्यों को स्थिर करने का प्रयोजन पूरा हुआ है।
- (ग) एवं (घ) : महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के प्याज के किसानों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

तथापि, कर्नाटक से प्याज की बंगलौर रोज किस्म को निर्यात करने की अनुमति देने के संबंधमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं0 27/2015-2022 द्वारा 30 नवम्बर, 2019 तक चेन्नई पोर्ट के माध्यम से 9,000 एमटी तक बँगलोर रोज प्याज को निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ङ) : वर्तमान प्रतिकूल घरेलू उपलब्धता और मूल्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई है। प्याज से भारत के निर्यात बास्केट को एक छोटा हिस्सा निर्मित करता है तथा इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है।

(च) : सरकार ने दिसम्बर, 2018 में कृषि निर्यात नीति लागू की थी जिसका उद्देश्य कृषिगत उत्पादों के लिए स्थिर व्यापक नीति बनाना है और यह आश्वस्त करना है कि उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आधार पर विषम मूल्य स्थिति में खाद्य सुरक्षा हेतु केवल अनिवार्य ज़िंसां पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।